Recd on 18/7/19

2/2
2212 /अधि. 4422
प्र. अधि. 4422
श्री मनीष सिंह ठाकुर

कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

—: ज्ञापन :—

क्रमांक 1889 / दो—12—31 / 2018 जबलपुर दिनांक 17 जुलाई 2019

प्रति,

संचालक,
अपर संचालक विज्ञापन,
जनसंपर्क कार्यालय, बाण गंगा रोड,
(रोशनपुरा) भोपाल।

विषय :— जिला न्यायालय भवन, जबलपुर में एक वर्ष की कालावधि के लिये कैंटीन के संचालन हेतु आमंत्रित निविदा के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन बावत्।

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषय में अनुरोध है कि जिला न्यायालय भवन, जबलपुर मे एक वर्ष 2019—20 की कालावधि के लिये कैंटीन के संचालन हेतु निविदा आमन्त्रित करने संबंधी विज्ञप्ति, इस पत्र के साथ आपकी ओर संलग्न प्रेषित की जा रही है।

कृपया उक्त विज्ञप्ति दो स्थानीय समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कर (प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति) इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

Sd/-
वास्ते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)
For District & Sessions Judge
Jabalpur

पृष्ठां.क. 1890 / दो—12—31 / 2018 जबलपुर दिनांक 17 जुलाई 2019

प्रतिलिपि :—

01. अध्यक्ष, क्रय समिति, 14वॉं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02. प्रभारी अधिकारी नाजरात अनुभाग, जबलपुर।

03. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर की ओर निविदा प्रलेख जिला न्यायालय, जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

System Officer
For N.A.
18.07.19
OIC

17.07.2019
वास्ते जिला एवं सत्र न्यायाधीश
For District & Sessions Judge
Jabalpur

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय जबलपुर में कैंटीन के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के वेबसाइड **www.mphc.gov.in** एवं **www.tenders.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कम्पनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 23.07.2019 की सांयकाल 5:30 बजे तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निविदा प्रलेख अध्यक्ष क्रय समिति, 14वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के विश्राम कक्ष में दिनांक 31.07.2019 के शाम 05:30 बजे तक निविदाकर्ताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

17/07/2019

वास्ते—जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

For-District & Sessions Judge
Jabalpur

समक्ष :–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

:: अनुबंध–पत्र ::

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में कैण्टीन के संचालन हेतु

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर के अभिभाषक संघ बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर केण्टीन का संचालन किया जाना है, जिसका एरिया 490 वर्गमीटर है, के एक वर्ष की कालावधि वर्ष 2019–20 के लिये संचालन करने संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. केण्टीन के संचालन के ठेके के लिये न्यूनतम निविदा राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग–1, जबलपुर से (सरकारी बोली) वार्षिक किराया 8,64,764/– निर्धारित किया गया है। किराया प्रतिमाह पूर्णांक में प्राप्त किया जावेगा एवं निविदा प्रारंभ दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये रहेगी।

02. स्वीकृत, निविदा में एक माह की सुरक्षा निधि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के नाम से निविदा अवधि या किन्हीं कारणवश बढ़ाई गई अवधि तक बैंक गारंटी के रूप में जमा रहेगी।

03. अनुबंध पर प्राप्त की गई केण्टीन के व्यक्ति द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत माह की सात तारीख के अंदर किराया राशि कोषालय में जमा नहीं की जाती है तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि अदा करनी होगी, एक माह तक मय ब्याज के राशि जमा ना करने पर उसका लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रहेगा।

04 केण्टीन का मासिक किराया उसके एरिया के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग–1, जबलपुर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

05 केण्टीन के किसी भी भाग को रहने तथा अन्य किसी उद्देश्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जावेगा।

06 केण्टीन में बिक्री किए गए सामान का मूल्य ठेकेदार के बैठने वाले स्थान पर लगाया जाना आवश्यक है एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त ना किया जावे।

07 जिला न्यायालय के अवकाश दिवस के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए या अन्य ऐसे समय तक जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित किया जावेगा संस्थान खुला रहेगा। परन्तु बिक्री का कार्य प्रातः 9:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक ही होगा।

08 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी शर्त को भंग करने पर व पालन ना करने पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा 15 दिन का लिखित नोटिस देकर अनुज्ञप्ती रद्द कर सकेंगे। इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को जिला न्यायाधीश जबलपुर से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

09. अनुज्ञप्ती अथवा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जिला न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा नामांकित किसी अन्य न्यायाधीश को विवाद के निपटाने का कार्य सौंपा जावेगा और ऐसा आदेश अंतिम रहेगा, जो उभयपक्षों पर बंधनकारी होगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी विद्युत कनेक्शन स्वयं लेंगे तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करेंगे। साथ ही अन्य सभी करों का भुगतान करेंगे जो सुसंगत विधि में प्रदत्त है।

11. शर्त कमांक – 08 में संचालित की जाने वाली प्रतिष्ठानों में बिकी किए गए सामानों का मूल्य का निर्धारण प्रशासनिक समिति निविदा धारक के विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए किया जावेगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी केण्टीन तथा आसपास के स्थान को साफ सुथरा रखेंगे।

13. अनुज्ञप्तिधारी विकय की जाने वाली खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अनुरूप विकय करेगा। खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर इस हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा। साथ ही विधि के अनुसार समस्त आवश्यक अनुज्ञा स्वयं प्राप्त कर समस्त प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान करेगा।

14. खाद्य सामग्री की जांच हेतु माननीय जिला न्यायाधीश जबलपुर द्वारा कमेटी गठित की जावेगी। नामित कमेटी द्वारा खाद्य सामग्री गुणवक्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा अधिकतम बोली के आधार पर निविदा स्वीकार की जावेगी।

15. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ 25000 रूपये की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, जबलपुर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा किंतु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश, जबलपुर के संयुक्त नाम की बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप से उल्लंघन किए जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पहृत की जा सकेगी।

अनुमोदित

30/5/19

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र.

प्रति, टेण्डर फार्म नं.....

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जबलपुर म.प्र.

फोटो

मेरे / हमारे ....द्वारा टेण्डर में संलग्न नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है, तथा संबंधित नियम एवं शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हूं / हैं। निविदा फार्म की कीमत 500/- रू. अदा करने के साथ ही उक्त निविदा फार्म अंतिम दिनांक 23.07.2019 को शाम 5:30 बजे तक जमा करने तथा दिनांक 31.07.2019 को सायंकाल 5:30 बजे अध्यक्ष क्रय समिति चौदहवें एडीजे जबलपुर के चैम्बर में आयोजित टेण्डर को खुलवाने के लिए सहमत हूं / हैं एवं हम उक्त शर्तों एवं नियम को पालन करने हेतु लिखित में सहमति देने हेतु तैयार हैं। शर्तें पूरी ना होने पर बयाना के तौर पर जमा की गई राशि को जब्त होने पर मैं / हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैं / हम अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत तथा संलग्न अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं।

मैं / हम नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में कैण्टीन संचालन हेतु अनुबंध शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हैं। मैं / हम द्वारा यह घोषणा की जाती है, कि हमारे द्वारा वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in में उपलब्ध टेण्डर संबंधी समस्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का कोई जोड़, घटाना या बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेजों की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को ही अंतिम दस्तावेज माना जावेगा एवं यदि हमारे द्वारा दिये गये दस्तावेजों एवं मूल कॉपी में कोई बदलाव पाया जाता है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय / प्रशासनिक क्रय समिति हमारे इकरारनामा को निरस्त करने हेतु पूर्ण स्वतंत्र हैं।

मेरे / हमारे द्वारा टेण्डर के साथ बयाना राशि.................................को एफ.डी.आर. / डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक चैक / बैंक गारण्टी.................................दिनांक..................को बंद लिफाफा में जमा किया जावेगा।

टेण्डर राशि..........................को हमारे द्वारा डी.डी. / चैक नंबर............ दिनांक......................को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए